बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक— /पटना, दिनांक—
सं0सं0—4तक0 / मोडूलर शेड निर्माण / 11 / 2018

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रुप से परामर्शित

द्वाराः— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2018—19 योजनान्तर्गत टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, पटना के परिसर में मोडूलर शेड के निर्माण हेतु ₹2,01,68,986.00 (दो करोड़ एक लाख अड़सठ हजार नौ सौ छियासी रुपये) मात्र व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या—1393 दिनांक 26.09.2017 एवं पत्रांक—337 दिनांक 01.03.2018 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, पटना के परिसर में मोडूलर शेड के निर्माण हेतु ₹2,01,68,986.00 (दो करोड़ एक लाख अड़सठ हजार नौ सौ छियासी रुपये) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, पटना के विस्तार प्रस्ताव के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आधुनिक तकनीकी की मशीनों को केन्द्र में स्थापित करने हेतु मोडूलर शेड निर्माण की आवश्यकता है ताकि उक्त मशीनों को केन्द्र में स्थापित किया जा सके।

3. इस परियोजना का कार्यान्वयन भारत सरकार के सहयोग से होना है। मंत्रालय के उप निदेशक के पत्र संख्या—21 / टी0आर0टी0सी0—पटना / 2006 / टी0आर0—II दिनांक 15 जुलाई, 2008 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्लांट एवं मशीनरीज का मुल्य भारत सरकार वहन करेगी, यदि भवन का व्यय बिहार सरकार करे। अतः इण्डो डेनिश टूल रूम, जमशेदपुर की पटना में विस्तार शाखा के लिए भवन निर्माण एवं छात्रावास की आवश्यकता के मद्देनजर इसका निर्माण किया जायेगा।

4. इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018—19 में ₹100.00 लाख (एक करोड़ रुपये) मात्र का बजट उपबंध प्राप्त है जिसके व्यय की स्वीकृति प्रस्तावित है। शेष राशि बजट उपबंध प्राप्त होने के उपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा।

5. आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को टूल रूम ट्रेनिंग सेन्टर, पटना के परिसर में मोडूलर शेड निर्माण के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो ससमय इस योजना को कार्यान्वित करेंगे।

6. इस स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष—00, लघु शीर्ष—102—लघु उद्योग, उप शीर्ष—0102—टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर, विपत्र कोड 23-4851001020102 के अन्तर्गत विषय शीर्ष—0102.53.01—मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से की जायेगी जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2018—19 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

7. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होगें, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की अग्रिम निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/RTGS द्वारा प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

8. इस राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 दिनांक 20.05.2014 के अनुरूप की जायेगी।

9. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो इसका अनुश्रवण करेंगे। योजना के व्यय से संबंधित व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर समुचित जाँचोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

10. स्वीकृत राशि विभागीय योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है।

11. इस योजना के लेखा–जोखा का पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

12. इस राज्यादेश में संचिका संख्या– 4तक0/मोडूलर शेड निर्माण/11/2018 के पृ0–15/टि0 पर दिनांक 01.01.2019 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि (2), दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि (2) दिनांक 17.04.1998 के कंडिका–2, पत्रांक–2938 वि (2) दिनांक 08.04.2008 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनश्चित किया जाएगा।

14. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि(2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–....................................../पटना, दिनांक–................
सं0सं0– 4तक0/मोडूलर शेड निर्माण/11/2018
प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–....................................../पटना, दिनांक–.................
सं०सं०– 4तक0/मोडूलर शेड निर्माण/11/2018

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक (तक0)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–....................................../पटना, दिनांक–.................
सं०सं०– 4तक0/मोडूलर शेड निर्माण/11/2018

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–....29..................................../पटना, दिनांक–......03.01.19
सं०सं०– 4तक0/मोडूलर शेड निर्माण/11/2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षक), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–1 (सरकार) योजना, उद्योग विभाग/योजना शाखा, उद्योग विभाग को 05 अतिरिक्त प्रतियों में/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
2/1/19

(12)